भारत के विभाजनोपरान्त विस्थापितों और प्रख्यात उपन्यासकारों की बदलती धारणाएँ : साक्षात्कार रूपी आईने के परिप्रेक्ष्य में

Research Scholar Pardeep Kumar [1*] **Guide Dr. Gyani Devi Gupta[2*]**

1*. RESEARCH SCHOLAR, GURU KASHI UNIVERSITY, SARDULGARH ROAD, TALWANDI SABO, BATHINDA-PUNJAB 151302

2*.HEAD OF HINDI DEPARTMENT ASSISTANT PROFESSOR, GURU KASHI UNIVERSITY SARDULGARH ROAD, TALWANDI SABO, BATHINDA- PUNJAB 151302

सारांश :- भारत का विभाजन दुनिया के इतिहास की सब से बड़ी दुखद ऐतिहासिक घटना है। यह विभाजन आम जनता की सहमति से नहीं हुआ बल्कि विभाजन तो चन्द राजनेताओं की स्वार्थी लालसा, कठमुल्लेपन और हठधर्मिता का परिणाम था। विभाजन के समाचार ने दोनों तरफ आतंक भरा माहौल पैदा कर दिया। करोड़ों लोग अपने सहधर्मिओं के साथ आतंकित स्थिति में जान बचाने के लिए, अपनी पैतृक सम्पत्ति को छोड़ कर अपनी मूल जड़ों से उखड़ कर, सुरक्षित स्थानों की ओर विस्थापन के लिए भागने लगे। भागम-भागी में भारत में फिर से विस्थापित करने के लिए हिन्दुओं, मुसलमानों और सिक्खों या अन्य किसी भी धर्म के लोगों की सुरक्षा का उचित प्रबन्ध नहीं किया गया। विदेशी हुकूमत ने बंगाल और पंजाब से अपने सिविल प्रतिनिधियों को वापस बुला कर विभाजितों को भगवान और अल्लाह के भरोसे मरने के लिए छोड़ दिया। विस्थापन की पीड़ा हज़ारों-लाखों को नहीं बल्कि करोड़ों को झेलनी पड़ी। सभी धर्म के पीड़ितों को विस्थापित होते समय आगजनी, बलात्कार, लूट-पाट, अपहरण और शारीरिक शोषण जैसी हिंसक घटनाओं का शिकार होना पड़ा। स्वाधीनता की कीमत अधिकांश औरतों को अपनी इज़्ज़त-आबरू उपद्रवियों के पैरों तले कुचलवा कर चुकानी पड़ी। कई स्वाभिमानी युवतियों ने अपनी असमत को बचाने के लिए कुओं तथा नदियों में कूद कर, अपनी इज़्ज़त-आबरू को दूषित नहीं होने दिया, चाहे प्राण त्याग दिए। कई असहाय औरतों की इज़्ज़त को तार-तार कर और उनको वस्त्रहीन कर, हाथ पैर बांध कर, जुलूसों द्वारा मंडियों में भेड़-बकरियों की तरह वेश्यावृति और गुलामी भरा जीवन यापन करने के लिए नीलाम कर दिया गया। जन्नत की तलाश में पाकिस्तान की ओर गया मुस्लिमवर्ग भी मुहाजिर बन कर जन्नत तो प्राप्त कर नहीं पाया बल्कि अपने ही धर्म के लोगों में अस्तित्वहीन होकर रह गया। मुहाजिरों को आज भी पाकिस्तान में तिरस्कार और अवज्ञा का सामना करना पड़ रहा है। पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित सुर्खियाँ, यह बात प्रमाणित करती है कि जन्नत तो प्राप्त हुई नहीं पर वे विस्थापित पाकिस्तान में

 Copyright © 2020 Authors

दूसरे-तीसरे दर्जे के नागरिक बन कर रह गए। विभाजन और विस्थापन की त्रासदी एक ऐसा घाव होता है जो ठीक तो हो जाता है पर अपनी कसक व निशानी आजीवन काल के लिए छोड़ जाता है। विभाजन चाहे, सीमाओं का हो या दिलों का, बहुत टीस देता है। सब कुछ होते हुए एक खालीपन हमेशा बना रहता है। ऐसी कुछ बाते जीवित विस्थापितों और प्रमुख उपन्यासकारों के माध्यम से जन-जागृति और मानव कल्याण हेतु आप सभी के सामने लेकर आना ही इस शोध-पत्र का उद्देश्य है ताकि आने वाली भावी पीढ़ियाँ धर्म, राजनीति और राजनेताओं के त्रिशंकु स्वार्थीपन में फंसने से बच सके।

बीज शब्द :- भारत में विभाजनोपरान्त जीवित पीड़ित विस्थापित, कुछ विस्थापित औपन्यासिक पात्र, प्रख्यात उपन्यासकार की बदलती धारणाओं का विवेचन और विश्लेषण

“जीवित पीड़ित विस्थापितों और प्रख्यात उपन्यासकारों से साक्षात्कार”

1. प्रश्न :- आपके मतानुसार विभाजन का मूल कारण धर्म था या राजनीति ? इस पहलू पर अपने विचार दीजिए। विभाजनोपरान्त विस्थापन आपने अपनी इच्छाशक्ति से किया या आपको बलपूर्वक निकाला गया ?

उत्तर :- मेरा नाम इन्द्रराज है। मेरी आयु 101 वर्ष की है। विभाजनोपूर्व मेरा सम्बन्ध रावलपिंडी आधुनिक पाकिस्तान क्षेत्र से था। भारत के विभाजन का मूल कारण राजनीति था क्योंकि पाकिस्तान को एक अलग देश बनाने की बातें चल रही थी। जिन्ना द्वारा इस मुद्दे को धर्म के वस्त्र में लपेट कर खूब उछाला गया। धर्म एक संवेदनशील विषय होने के कारण सभी को तीव्रगति से पीड़ित करने लग जाता है। जन्म से साथ पले-बड़े हुए, मित्र ही पल में गाय और सुअर के नाम पर दुश्मन बन गए। विदेशियों की चालों का सभी शिकार हो गए। गोद में पाली लड़कियों को उठा लिया गया। (आगे विस्थापित सुबकने लगा) क्या-क्या नहीं देखा इन बूढ़ी आँखों ने देखा ? उस का वर्णन अब नहीं कर सकता। दूध पीते बच्चों को उनकी माताओं के सामने पिशाचों ने धरती पर पटक-पटक कर मार डाला। बच्चों के सिर काट कर दरवाजों के खूटों पर टांग दिए। यह सब धर्म की आड़ में राजनैतिक लाभ लेने के लिए किया गया। हमारी सारी पैतृक सम्पत्ति रावलपिंडी में थी। परिवार के बुज़ुर्ग पुश्तैनी अर्जित की सम्पत्ति को छोड़ कर नहीं जाना चाहते थे परन्तु आगजनी, बलात्कार, कत्लेआम, मार-काट,

 Copyright ⓒ 2020 Authors

और लूट-पाट की सूचनाओं को सुन कर सभी गैरमुसलमान आतंकित होकर डर के मारे रात के अन्धेरे में सब कुछ छोड़-छाड़ कर, जान बचा कर निकल आए, हिन्दुस्तान के कोने-कोने में विस्थापित होने लगे। जो नहीं आए उनको निकाल दिया गया और जो नहीं निकले उनको काट दिया गया। बस, इसी डर के मारे सभी भाग आए। आज कल सभी लोग राजनेताओं के निजी स्वार्थों को समझने लगे है।[1] **सम्पर्क साधन (निजी सम्पर्क द्वारा)**

2.प्रश्न :- आप बताइए कि विभाजन से कितने लोग प्रभावित हुए होंगे ? आपके मतानुसार विभाजन आम जनता की इच्छाशक्ति के विरुद्ध हुआ या इच्छाशक्ति के अनुसार हुआ ? इस पर अपना वक्तव्य रखते बताए कि आपने विस्थापित होकर जीवनयापन कैसे किया ?

उत्तर :- प्रिंसीपल गुरचरण सिंह बरारा मेरा नाम है। मेरे पिता जी का नाम डॉ० बलवन्त सिंह बरारा था। विभाजन के समय मेरी आयु 10 वर्ष की थी। मेरा जन्म गुजरांवाला पाकिस्तान में हुआ था। मेरे दादा जी एक नामी डॉक्टर थे। दंगाकारियों ने मेरे दादा जी का सिर काट डाला क्योंकि वह विभाजन का विरोध कर रहे थे। हमें बलपूर्वक निकाला गया। मेरा सम्बन्ध एक शिक्षित परिवार से होने के कारण मेरे पिता जी को एक अच्छी नौकरी मिल गई। आपके दूसरे प्रश्न का मेरे पास सही उत्तर तो नहीं पर मैंने अपने जीवनकाल में एम. एस. रंघावा की पुस्तक 'Out of Ashes' में से पढ़ा था, उसके हवाले से कहता हूँ कि पूरे भारत में 160 रिफ्यूजी कैंपों का आयोजन किया गया था।[2] 1,45,00000 लोग इस त्रासदी से प्रभावित हुए।[3] इस के अलावा मैंने जो अख़बारों में से पढ़ा, लोगों से सुना उस आधार पर तो दो करोड़ हिन्दुओं को अपना जन्मस्थान छोड़ना पड़ा। एक करोड़ के आस-पास मुसलमान चाँद-सितारे के परचम में जन्नत की तलाश के लिए पाकिस्तान चले गए। इतने बड़े स्थानांतरण में पाँच लाख लोगों ने अपनी जान गवाई।[4] महिलाओं को अपहरण और बलात्कार जैसी अमानवीय घटनाओं का सामना करना पड़ा। कई लोग लापता हो गए। जिन को आज तक ख़ोजा जा रहा है। मेरा एक दोस्त अपनी बूढ़ी आँखों में अपनों से मिलने की आशा आँखों में लिए, वाहेगुरू को प्यारा हो गया। मेरे विचार से विभाजन आम जनता की इच्छाशक्ति के विरुद्ध हुआ क्योंकि लोग अपनी जमीन जायदाद, घर-बार, कारोबार छोड़छाड़ कर बिल्कुल नही जाना चाहते थे। विभाजन का फैसला तो बन्द कमरों में आम जनता की राय के विपरीत स्वीकार कर लिया गया। इस फैसले ने नेताओं को तो लाभान्वित किया परन्तु हमारी औरतों को हवस का शिकार बना दिया। विदेशी हुकूमत ने अपने स्वार्थी हितों की पूर्ति हेतु धर्म के नाम पर भारत का विभाजन कर दिया। मेरे दादा जी और पिता जी डॉक्टर थे। दादा जी का कत्ल गुजरांवाला में हुआ था। पिता जी को भारत में नौकरी मिल गई। मैं सतीश चन्द्र धवन सरकारी कॉलेज लुधियाना से प्रधानाचार्य के पद से सेवानिवृत्ति हुआ हूँ। आज, मैं चाहे खुश हूँ पर विस्थापन की पीड़ा को कभी नहीं भूल सकता। आज के संदर्भ में मेरी धारणा में यह बदलाव आया है कि आज मैं इस योग्य हो चुका हूँ कि किसी की भी मुखौटेबाज़ी को समझ सकता हूँ और उसका जवाब देने में सक्षम हूँ।[5] **सम्पर्क साधन (निजी सम्पर्क द्वारा)**

3.प्रश्न :- अपने बारे में कुछ बताते हुए बताए कि विभाजनोपूर्व आपका सम्बन्ध किस क्षेत्र से था ? उस पार से इस पार आते समय आपको कैसी-कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा ?

 Copyright ⓒ 2020 Authors

उत्तर :- मेरा नाम पुष्पा रानी है। मेरा जन्म 1936 को ननकाना साहिब में मेरे ननिहाल में हुआ। विभाजन के समय मेरी आयु 11 वर्ष की थी। मेरे पिता जी का सारा परिवार मिंटगुमरी में काट डाला गया। लखनपालों के मुहल्ले को आग लगा डाली गई। मेरे पिता जी एक रसूखदार व्यक्ति थे। उनका गला काट दिया गया। मेरी माता जी की आँखों के सामने ही उनके सिर का ताज मार डाला गया। वह बेहोश होकर धरती पर गिर गई। मुसलमान उनको मरा समझ कर, उनके कानों के बुन्दें कानों से खींच कर ले गए। कान फट जाने के कारण मेरी माता जी घायल और बेहोश हो गई। दंगाकारी उनको मरा समझ कर चले गए। दो-तीन, दिनों के बाद भारतीय सैनिक मेरी माता जी को जीवित उठा कर हिन्दुस्तान ले आए। मैं अपने मामा जी के साथ हिन्दुस्तान आ गई। मेरे मामा जी शरणार्थी कैम्पों में से मेरी माता जी को खोज लाए। मेरे चाचा जी ने उन पर चादर डाल दी। अनेक कठिनाइयों को झेलते मेरे माता जी हिन्दुस्तान आ गए। उन्होंने बताया कि रास्ते में कुएँ लाशों से भरे पड़े थे। आते-जाते काफिलों में पीड़ित लोग भयभीत होकर पूछ रहे थे, 'ਕੱਢ ਤਤੋਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਹਿੰਦਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨੀ'[6] (एक पंजाबी की कहावत जिस में औरतों के शरीर पर हिन्दू या मुसलमान होने की निशानी दिखाने की माँग की जाती थी)। ऐसा वाक्यांश मेरी माता जी ने मुझे सुनाया। बहुत सी औरतों को अपने माता-पिता या सास-ससुर और पति के द्वारा अपनाया नहीं जा रहा था क्योंकि वे औरतें अपनी इच्छाशक्ति के विरुद्ध पाकिस्तान में मुसलमानों के घरों में रह कर आई थी। तभी से मेरी माता जी और हम सभी एक ही छत के नीचे रहने लगे। भारत सरकार की ओर से हमें 1500 रूपए नकद और एक बना बनाया मकान दिया गया। जिस में हम आज भी रह रहे है। काफी परिश्रम के पश्चात हम पानीपत में विस्थापित हो गए। कई दिनों तक हम सभी ने बुझक (चने) खा कर गुजारा किया। आज अपने परिश्रम के बल पर हम शरणार्थियों ने अपना पुरुषार्थ सिद्ध कर दिया है। फिर भी विभाजन की पीड़ा को नहीं भूल पाए। वे दृश्य याद आते ही भयभीत हो उठती हूँ। मेरा सवाल उस दकियानूसी विचारधारा से है कि उन औरतों का क्या दोष था ? जिन का तिरस्कार उनके संगे-सम्बन्धियों द्वारा कर दिया गया क्योंकि वे मुसलमानों के घर में रह कर आई थी। क्या सभी मुसलमान बुरे ही होते हैं ? नहीं, बहुत से मुसलमान धर्म और ईमान के पक्के होते हैं। जिन्होंने हिन्दू बच्चियों को अपनी बच्चियाँ मान कर बचाया था। क्या कोई भी, किसी को शरण में काम पूर्ति के लिए ही लेता है ? सद्कर्म और मानव हितैषी भावना भी तो हो सकती है। इस बात पर निर्दोष औरतों का परित्याग करने वालों को सोचना चाहिए था। मैं इस साक्षात्कार के माध्यम से सियासतदानों से पूछना चाहती हूँ कि औरत को औरत का सही स्थान कब मिलेगा। औरत पहले भी प्रताड़ित थी और आज भी प्रताड़ित है। क्या द्रोपदी का चीरहरण रोकने के लिए फिर से श्री कृष्ण को अवतार लेना पड़ेगा या हमारे राजनेता और प्रशासन के अधिकारी भगवान कृष्ण की भूमिका निभाएगे।[7] **सम्पर्क साधन (निजी सम्पर्क द्वारा)**

4.प्रश्न :- विभाजन के समय विस्थापितों के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी ? क्या आने वाली नस्लें इस पीड़ा को भोगती रहेगी या सरहद की खींची लकीर को मिटा डालेगी ?

उत्तर :- मेरा नाम जसदेव सिंह ललतों है। आजकल मैं कौमागाटामारू कमेटी का सदस्य हूँ। मेरा जन्म हिन्दुस्तान की सरजमीं पर हुआ। मेरे परिवार के बुजुर्ग पाकिस्तान से हिन्दुस्तान आए थे। मैंने अपने बचपन से ही पारिवारिक सदस्यों से विभाजन की पीड़ा को सुना था। सरकार की प्रतिक्रिया पर मेरा विचार है कि भारत सरकार उस समय बहुत परेशान थी। इतनी बड़ी संख्या में विस्थापितों को कहाँ विस्थापित किया जाए? यह सरकार के लिए चिन्ता का विषय था। पीड़ितों को सम्भाल पाना कोई आसान काम नहीं था। सरकार

Copyright ⓒ 2020 Authors

विस्थापितों के पलायन के समय उनको पुख्ता सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाई। सोची समझी साजिश के तहत जनता को मरने के लिए छोड़ दिया गया। आम लोगों की सुरक्षा के लिए, कई दिनों बाद पुख्ता प्रबन्ध किए गए। जबकि राजनेता राजसी कुर्सियों पर उसी समय जा कर बैठ गए। एक सप्ताह में ही दस हजार लोगों की हत्या कर दी गई। बड़े-बड़े शहरों में शरणार्थी कैम्पों का आयोजन किया गया। कैम्पों की साफ-सफाई का कोई उचित प्रबन्ध नहीं था। सामान्य वस्तुओं का प्रबन्ध भी विस्थापितों को स्वयं ही करना पड़ रहा था। स्वास्थ्य की सुविधाएँ भी नाम मात्र ही थी। सरकारी सुविधाओं की जानकारी कागज़ों पर कुछ और थी और वास्तविकता में कुछ और थी। सच पूछो, तो सरकार की भूमिका उचित नहीं थी। सरकार ने तो बस आम लोगों को भगवान भरोसे मरने के लिए छोड़ दिया। भविष्य में इस पीड़ा का अन्त आवश्यक बनता जा रहा है। पीड़ित लोग सरहद पर खींची लकीर को अपने आप मिटा देंगे। जैसे बुद्धिजीवी वर्ग ने पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी की बर्लिन की दीवार गिरा कर जर्मनी को एक कर डाला है। उसी प्रकार रैडक्लिफ रेखा को मिटा कर पाकिस्तान और हिन्दुस्तान एक हो जाएगा। अब हिन्दू और मुसलमान एक होना चाहते है क्योंकि धर्म का प्रयोग कौन करता है, दोनों धर्म के लोगों को समझ आ चुका है। अब दोनों धर्म के लोग साम्प्रदायिकता के झमेले में नहीं पड़ना चाहते हैं।[8] **सम्पर्क साधन (निजी सम्पर्क द्वारा)**

5.प्रश्न :- आप विभाजन का मूल कारण किस बात को मानते हो ? आपने विस्थापन कैसे किया ? इस विषय पर कुछ बताए।

उत्तर :- मेरा नाम ओम प्रकाश है। मेरा जन्म 1934 को सियालकोट पाकिस्तान में हुआ। विभाजन के समय मेरी आयु 13 वर्ष की थी। बॅटवारे के समय माताओं के सामने ही उनके बच्चों को मार डाला गया। कम उम्र की बच्चियों को हवस का शिकार बनाया गया। उनके अंग-भंग करने के पश्चात हाथ पीछे की ओर बांध कर मण्डियों में नीलाम कर दिया गया। ऐसा सब कुछ इस लिए हुआ क्योंकि हिन्दू और मुसलमानों में सामाजिक एकता खत्म हो गई थी। एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को लूट का माल समझ कर उन पर लूट के लिए टूट पड़े थे। इस समय मानवाधिकारों का खूब हनन हुआ। अल्लाह का खौफ किसी को नहीं था। इस्लाम को मानने वाले काफिरों का अन्त करने को लगे हुए थे। मैंने अपनी आँखों से एक नंगी मरी हुई माँ को देखा, जिस का बच्चा मरी हुई माँ का स्तनपान कर रहा था। मैं विवशता के कारण कुछ भी नहीं कर पाया। वह दृश्य आज भी मेरे सपनों में आकर मुझे पीड़ित करता है। विभाजन का मूल कारण राजनीति था। बेटा, कैसे बताऊ कि हम लोगों ने कैसे-कैसे दिन देखे है। एक टूटी हुई झोपड़ी जैसे घर में कई रातें बिताई थी। पंडित जवाहर लाल नेहरू जी की ओर से जवाहर नगर लुधियाना में हमें रहने के लिए मकान अलॉट किए गए। धीरे-धीरे जिन्दगी लाईन पर आई। विस्थापन बहुत ही कठिनाइयों से हुआ। आज के हिन्दू और मुसलमान सामाजिक एकता को खत्म नहीं करना चाहते, दोनों धर्म के लोग गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत रखते है। यही आपके द्वारा मैं अपना सन्देश सभी धर्म के लोगों को देना चाहता हूँ।[9] **सम्पर्क साधन (निजी सम्पर्क द्वारा)**

6. प्रश्न :- आप अपने जीवन कि कठिनाइयों को बताते हुए बताए कि विभाजनोपूर्व आपका सम्बन्ध किस क्षेत्र से था? क्या सरकार द्वारा विभाजन की झूठी अफवाहों पर नियन्त्रण पाया गया या नहीं ? इस पर विस्थापितों और आपकी क्या प्रतिक्रिया थी ?

 Copyright © 2020 Authors

उत्तरः- मेरा नाम बनारसी लाल चावला है। मेरी आयु 87 वर्ष की है। जब भारत का विभाजन हुआ, तब मेरी आयु 14 वर्ष की थी। मेरी पढ़ाई छूट गई। घर-बार, सब कुछ छूट गया। मौत बहुत सस्ती हो गई। बहुत कठिनाइयों को झेलता हिन्दुस्तान की सरजमीं पर पहुँच गया। मैंने बहुत कठिन समय देखा। रोटी पैदा करने के लिए दिन-रात प्रयास किया। प्रतिदिन नया तजुर्बा होता था। सभी तजुर्बों को इक्कठा करता गया। तजुर्बों रूपी खज़ाने के बल पर, मैं अपनी जिन्दगी में सफल हुआ। सारी दुनिया घूमा। एक महान वैज्ञानिक बेटी का पिता होने का मान प्राप्त हुआ। मेरी बेटी कल्पना चावला ने विश्व भर में विज्ञान की दुनिया में मेरा नाम रोशन किया है। आज मेरे पास सब कुछ है। मैं बहुत खुश हूँ। सरकार ने विभाजन के समय अफवाहों पर नियन्त्रण पाने के लिए कुछ नहीं किया। सभी राज-भाग के कामों में लग गए। आम जनता की किसी को भी परवाह नहीं थी। अगर सरकार अफवाहों पर काबू पा लेती तो नुकसान कुछ कम होता। यही कारण है कि दोनों तरफ के लोग राजनेताओं को गालियाँ देते ही पाए जाते हैं। आज मेरे पास सब कुछ है। मैंने अपने परिश्रम के बल पर सब कुछ बना लिया है। इस साक्षात्कार के द्वारा मेरा सन्देश यह है कि अगर सरकार अफवाहों पर नियन्त्रण कर लेती तो आई हुई मुसीबत पर आधी जीत प्राप्त की जा सकती थी। इस प्रश्नावली के माध्यम से मेरा राजनेताओं को सन्देश है कि विपदा के समय सब से पहले अफ़वाहों पर काबू पाना चाहिए।[10] **सम्पर्क साधन (निजी सम्पर्क द्वारा)**

7. प्रश्न :- आप एक विस्थापित परिवार से सम्बन्धित होते हुए भी एक जाने-माने साहित्यकार बने तो बताइए की विभाजन ने हमारी गंगाजमुनी तहजीब और 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता-संस्कृति पर गहरी चोट कैसे पहुचाई ? इस पर आप क्या कहना चाहते हैं ?

उत्तर :- मेरा नाम डॉ० तरसेम गुजराल है। मेरी आयु 70 वर्ष है। मेरा जन्म विभाजन के तीन वर्ष बाद आज़ाद हिन्दुस्तान में हुआ। मेरे पूर्वज पाकिस्तान से सम्बन्धित थे। विभाजनोपरान्त वे जालन्धर आ कर विस्थापित हो गए। मैंने अपने पूर्वजों की अनुकंपा से हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में, खासतौर पर पंजाब जैसे अहिन्दी भाषी क्षेत्र में हिन्दी लेखन में नाम कमाया है। हमारे परिवार ने शरणार्थी परिवार होने के बावजूद भी अपना पुरुषार्थ प्रमाणित किया है। अब आपके प्रश्न का जवाब यह है कि भारत के विभाजन ने हमारी पाँच हजार वर्ष पुरानी सभ्यता-संस्कृति को गहरी चोट पहुँचाई। सदियों से चली आ रही मित्रता दुश्मनी में बदल गई। दोनों धर्मों के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। औरतों की असमत लूट ली गई। काम पिपासा को हवस भरे आतंक से शान्त किया गया। देश के विभाजन की त्रासदी को हमारी मातृशक्ति ने अपने खून से जीवनदान दिया है। कत्लेआम और नग्न औरतों की नीलामी के कारण हिन्दू-मुसलमानों से नफ़रत करने लगे। इस द्वेषी भावना ने हमारी गंगाजमुनी तहजीब को तार-तार कर डाला। यह सब इस लिए हुआ क्योंकि रेडक्लिफ ब्रिटिश अधिकारी को चालीस हजार की पगार देने के लिए, जिसको भारतीय सभ्यता-संस्कृति और भूभाग के विषय पर कुछ भी जानकारी नहीं थी, ऐसे अनजान व्यक्ति को भारत के विभाजन की सीमा रेखा निश्चित करने का काम सौंपा गया। विभाजन की सीमा रेखा बिल्कुल ही गलत निर्धारित कर उस ने हमारी बची-खुची गंगाजमुनी तहजीब की धज्जियाँ उड़ाकर रख डाली। अगर हम को विभाजन की त्रासदी से कुछ सीखना चाहिए तो वह यह है कि हम अपनी गंगाजमुनी तहजीब को कैसे पुनः जीवित कर सकते हैं। इस को बनाए रखने के लिए दोनों धर्मों की भावी पीढ़ियों को कठिन प्रयास करना पडेगा। तभी हम अपनी गंगाजमुनी तहजीब को कायम रख सकते है।[11] **सम्पर्क साधन (निजी सम्पर्क द्वारा)**

 Copyright ⓒ 2020 Authors

8.प्रश्न :-आप को शिक्षा विभाग पंजाब की तरफ से शिक्षा के क्षेत्र में नेशनल अवार्ड मिला है। विभाजनोपरान्त हमारी गंगाजमुनी तहजीब, वर्षों पुरानी सभ्यता-संस्कृति को कैसे जीवित किया जा सकता है ? क्या हमारी विश्वबन्धुत्त्व की यह माँग कभी पूरी हो पाएगी ? इस पर आप क्या कहना चाहते हो ?

उत्तर :- मेरा नाम रणजीत सिंह है। मेरा जन्म 1947 को आज़ादी से कुछ महीने बाद हुआ। मेरे नानका और दादका दोनों परिवार आधुनिक पाकिस्तान से सम्बन्धित थे। मैं अपने बाल्यकाल से ही विभाजन की त्रासदी को दोनों परिवारों से बचपन से ही सुन चुका हूँ। अपनी प्रौढ़ अवस्था में मैंने महसूस किया कि विभाजन ने भारतीय सभ्यता-संस्कृति को बहुत नुकसान पहुँचाया। श्री गुरू नानक देव जी का जन्म स्थान श्री ननकाना साहिब, श्री पंजासाहिब और अन्य ऐतिहासिक स्थल पाकिस्तान में ही रह गए। विभाजन ने भारतीय सभ्यता-संस्कृति पर तो प्रहार किया साथ-ही-साथ विश्वबन्धुत्त्व को भी नुकसान पहुँचाया। सिक्ख इतिहास पर ऐसा प्रहार किया कि आज भी प्रतिदिन प्रत्येक गुरुद्वारों में से दो वक्त इन छीने गए, सुप्रसिद्ध स्थलों की वापसी और खुले दर्शनों की अरदास की जाती है। अगर यह अरदास पूरी हो जाएगी तो हमारी गंगाजमुनी तहजीब, वर्षों पुरानी सभ्यता-संस्कृति और विश्वबन्धुत्त्व की माँग भी पूरी हो जाएगी। अगर अरदास पूरी नहीं होती तो प्रतिदिन हमें विभाजन की पीड़ा का एहसास होता रहेगा। मेरा एक और विचार यह भी है कि सभी धार्मिक स्थल जो किसी भी धर्म से सम्बन्धित क्यों न हो, वे मानवजाति के धार्मिक प्रतीक चिहन होते हैं। हमें उन पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर कोई भी उन पर राजनीति कर रहा है तो हमें सचेत रहना चाहिए ताकि साम्प्रदायिकता न फैल सके।[12] **सम्पर्क साधन (निजी सम्पर्क द्वारा)**

9.प्रश्न :- श्रीमान जी आप का उपन्यास 'घर वापसी' विभाजनोपरान्त विस्थापन की पीड़ा को केन्द्र में रख कर लिखा गया है । इस पर अपने विचार बताए।

उत्तर :- मेरा नाम मधुर कुलश्रेष्ठ है। मेरी रचना यात्रा की शुरुआत पिताजी की देन है या यूं कहा जाए कि वे लेखनकार्य को मुझे विरासत में देकर गए हैं। सन 1991 में पिताजी की मृत्यु के दिन से ही मेरे लेखनकार्य की शुरुआत हुई। 'घर वापसी' की लगभग चार महीनों की रचना यात्रा में उपन्यास के सभी पात्र अदृश्य रूप से मेरे इर्द-गिर्द अपनी दस्तक देते रहे हैं जो मेरा उन पात्रों से आंतरिक लगाव का सबूत है। यह सत्य है कि मेरे उपन्यास 'घर वापसी' में विभाजनोपरान्त विस्थापन की पीड़ा को केन्द्र में रखा गया है। मैंने लोगों के विस्थापित होने की टीस को अपने उपन्यास में उकेरने का एक छोटा सा प्रयास किया है। विभाजन और विस्थापन की त्रासदी एक ऐसा घाव होता है जो ठीक तो हो जाता है, उसकी कसक व निशान आजीवन बना रहता है। विभाजन चाहे सीमाओं का हो या दिलों का, बहुत टीस होती है। सब कुछ होते हुए भी एक रीतापन हमेशा बना रहता है। एक अदृश्य रेखा मात्र बन जाने से दृश्य में ना जाने कितने परिवर्तन हो जाते हैं। कितना मुश्किल और वेदनापूर्ण होता है, इन परिवर्तनों से होकर गुजरना। जिस जगह हम पैदा हुए, जिस मिट्टी में खेले, जिस जगह का अन्न खाया, जिसके सपने मन में संजोये, अकस्मात एक रेखा खींच जाने से सब कुछ बदला-बदला सा हो जाता हैं। अपना गांव, अपना देश, अपना नहीं रहता। हवा पराई हो गई, लोग पराए हो गए। पल में ही सब बदल जाता है। विभाजन हुआ तो विस्थापन भी होगा। विस्थापन अपने देश में हो या दूसरे देश में अपनी जड़ों से कटने की टीस हमेशा कसकती रहती है। दर्द देती रहती है। 'देश में रहना है तो गद्दारी छोड़ना है, पाकिस्तानियों के साथ संबंध तोड़ना है'[13] जैसे वांक्यों को सुनना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक पौधा जड़ से उखाड़ कर किसी दूसरी जगह पर रोप दिया जाता है। वह पौधा स्थाई रूप से लगे पौधों से कमजोर ही

 Copyright © 2020 Authors

रहता है। इस उपन्यास के माध्यम से मेरा लक्ष्य ही विस्थापन की पीड़ा का जनमानस को एहसास करवाना है। फलस्वरूप हमारी आने वाली पीढ़ियाँ किसी भी विभाजन का सामना न कर सके।[14] सम्पर्क साधन **(दूरभाष के माध्यम)**

10.प्रश्न :- अन्य धर्म के लोग जो पाकिस्तान में रह गए वे काफिर क्यों कहलाने लगे हैं, क्या पकिस्तान में आज भी इस पार से उस पार गए, मुसलमान मुहाजिर और द्वितीय श्रेणी के नागरिक समझे जाते हैं ? इस विषय पर अपने विचार दीजिए ।

उत्तर :- मेरा नाम मधुर कुलश्रेष्ठ है। जो विभाजन के बाद विस्थापित नहीं हुए, वहीं रह गए, वे भी बदले हालातों के शिकार हुए, उनको बदली हुई हवाओं में परायापन महसूस करवाया जाता है। वे आज भी समाज में काफिर होने की पीड़ा भोग रहे हैं। विस्थापित हमेशा स्थानीय लोगों के लिए अविश्वसनीय बने रहते हैं, पराएपन और शंका के शिकार बने रहते हैं। शासक एवं समाज, अपने-अपने स्वार्थों के लिए, विस्थापितों को अजनबीपन का अहसास करवाते रहे हैं। भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद विस्थापितों की यही हालत हो गई हैं। सीमा रेखा के पार से आए हिन्दू तो इधर के समाज में रच बस गए। उनको विस्थापन की टीस अभी भी कभी-कभी दर्द देती हैं। जबकि मुसलमानों की स्थिति अलग हुई, जो उधर चले गए, वे नस्लीय भेदभाव का शिकार होकर मुहाजिर बन दोयम दर्जे के होकर रह गए हैं। जो यहां रह गए, उनकी विश्वसनीयता भी उन्हीं के समाज के कुछ लोगों के कारण हमेशा सवालों के घेरे में घिर गई। एक सत्य यह भी है कि उनकी स्थिति उस पार गए मुसलमानों से अच्छी है। राजनैतिक हालातों ने किसी को विस्थापित, मुहाजिर या काफिर बना कर रख दिया है।[15] **सम्पर्क साधन (दूरभाष के माध्यम)**

11.प्रश्न :- क्या आपको पकिस्तान की आज भी याद आती है ? अगर आपको पाकिस्तान जाने का अवसर मिले तो आप क्या करेंगे ? इस विषय पर अपने विचार दीजिए ।

उत्तर :- मेरा नाम अवतार सिंह है। मेरी आयु 90 वर्ष की है। हमारा पैतृक गांव पाकिस्तान में परसेवाल, तहसील गुजरात था। एक सज्जन पुरुष की सहायता से हम सभी सुरक्षित हिन्दुस्तान में आ गए। यहां पर आकर विस्थापन के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ा। परिश्रम कर आजकल जो अर्जित किया है, अपनी भावी पीढ़ी को सौंप चुका हूँ। हां, अगर मुझे अपने पुरखों की सरजमीं पाकिस्तान को देखने का अवसर मिले तो जरुर देखना चाहूगा। मुझे मेरे खेतों में लगे आम के पेड़ों के आमों की मिठास और कुएँ के ठण्डे पानी की ठण्डक अभी भी याद आती है। यह याद समाप्त नहीं होती क्योंकि हर साल जब गर्मी के मौसम में आम घर आते हैं तो मुझे पाकिस्तान में रह गए अपने खेतों की याद आती है। तभी आँखों से आँसू निकल आते हैं। पाकिस्तान में सब कुछ छोड़ आने की पीड़ा कभी खत्म नहीं होगी जो हमेशा प्रताड़ित करती रहेगी। मेरा मानना है कि एक दिन यह सरहद की लाई ही मिट जाएगी।[16] **सम्पर्क साधन (निजी सम्पर्क द्वारा)**

12.प्रश्न :-अपने बारे में कुछ जानकारी देते हुए बताए कि क्या पकिस्तान की माँग धर्म पर आधारित थी या नयी-पुरानी पीढ़ी का आपसी द्वन्द्व था ? जैसे आपके उपन्यास 'सूखा बरगद' का पात्र 'विजय' हिन्दुस्तान से पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान से अमेरिका जा कर भी खुश नहीं रह पाता, भारत वापसी की माँग करता है। इस विषय पर अपनी राय दीजिए।

 Copyright © 2020 Authors

उत्तर :- मेरा नाम मंज़ूर एहतेशाम है। मेरा जन्म 3 अप्रैल, 1948 को भोपाल में हुआ। 'सूखा बरगद' उपन्यास की रचना पर मैं श्रीकान्त वर्मा सम्मान और 2003 में पद्मश्री राष्ट्रीय सम्मान से अलंकृत हुआ हूँ। पाकिस्तान की माँग न तो धर्म पर आधारित थी न ही नयी-पुरानी पीढ़ी का आपसी द्वन्द्व था। यह माँग तो केवल मात्र साम्प्रदायिकता पर आधारित थी। उपन्यास 'सूखा बरगद' का पात्र 'परवेज' हिन्दुस्तान से पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान से अमेरिका जा कर भी खुश नहीं हो पाता।[17] सूरत तब की है जब साम्प्रदायिक माँगें, सन्तुष्टि नहीं कर पातीं। यही कारण है कि परवेज जैसे पात्र को न तो पाकिस्तान में, न ही अमेरिका में, न ही भारत में, मान-सम्मान मिल पाता है। इसी उलझन में वह बेघर-बार होकर भटकते रहते हैं और उसको कहीं भी चैन नहीं मिल पाता हैं।[18] **सम्पर्क साधन (ईमेल के द्वारा)**

13.प्रश्न :-आप अपना परिचय देते बताइए कि विस्थापित होते समय आप को कैसी-कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा ?

उत्तर :- मेरा नाम खुशदेव कुमार बख़्शी है। मेरे जन्म 25 अप्रैल, 1938 को हुआ है। हमारा पुश्तैनी सम्बन्ध जेहलम दरिया के पुंज क्षेत्र से है। हमारे पूर्वज कश्मीर के राजा के दरबारी अधिकारी थे। मेरे दादा जी पुंज क्षेत्र में रहते थे। 1947 में जब विभाजन हुआ, हमारा सारा परिवार पुंज क्षेत्र में था। संयुक्त परिवार, अच्छी खासी सम्पत्ति, खेत-खलियान, घर-बार सब कुछ था, हमारे पास। 1947 को पुंज पर काबुलियों ने हमला कर दिया। काबुलियों द्वारा बहू-बेटियों का अपहरण कर उनको खराब किया जाने लगा। असल में काबुली कश्मीर के महाराजा को डराना चाहते थे। कश्मीर के महाराजा के सैनिक काबुलियों का मुकाबला करने में असमर्थ थे। काबुलियों ने राजौरी क्षेत्र में खूब लूट-पाट, मार-काट और मातृशक्ति का शारीरिक शोषण किया। हमारा घर पुंज में बहुत बड़ा था, सभी हिन्दू हमारे घर की छत पर मोर्चा बना कर बैठ गए। सभी हिन्दू परिवारों ने सोच लिया था कि हम सभी कश्मीर के महाराजा और उसके सैनिकों का साथ देंगे। अपनी नौजवान बहू-बेटियों की हत्या करने को भी हम तैयार हो गए। एक रात ज्ञात हुआ कि काबुली पुंज पहुँच गए है। मेरे पिता जी गांव के मुखियां थे। उनके सुझाव पर सभी औरतों को कुर्बानी के लिए तैयार कर लिया गया था। भगवान की कृपा से भारतीय सैनिकदल राजौरी से पुंज पहुँच गया। भारतीय सैना के अफसर ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह ने हमें अपने संरक्षण में ले लिया। एक मैदान में हम सभी ने मिल कर एक airodump तैयार किया। धीरे-धीरे औरतों और बच्चों को पहले एक जहाज के द्वारा जम्मू लाया गया। यहीं से हमारे विस्थापन का दुखांत आरम्भ होता है। जम्मू से दिल्ली, दिल्ली से आगरा, आगरा से देहरादून, देहरादून से करनाल, करनाल से जबलपुर (मध्य प्रदेश) विस्थापन के लिए भटकते रहे। यहीं से मैंने अपनी शिक्षा-दीक्षा प्राप्त की। मैंने Ph.D (Veterinary Science) में की। विदेशों में अनुसंधान के लिए गया। जर्मनी और लिबिया की सरकार द्वारा वहीं रहने का अवसर भी दिया गया परन्तु मेरा उद्देश्य तो अपनी मातृभूमि की सेवा करना था, इसी लिए मैं विदेशों में नहीं रह सका। एक शरणार्थी का पुरुषार्थ तब सिद्ध हुआ जब मैं कठिन परिश्रम के बाद पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना में डीन रिसर्च के पद पर नियुक्त हुआ। आज भी मुझे अपने पुरुषार्थ पर गर्व है परन्तु विभाजन की त्रासदी आज भी दुखी करती है, जिस से अभी किसी ने कुछ नहीं सीखा, उन्हें सीखने की आवश्यकता है।[19] **सम्पर्क साधन (निजी सम्पर्क द्वारा)**

 Copyright ⓒ 2020 Authors

14.प्रश्न :- मैडम जी, आप अपना व्यक्तिगत परिचय देते हुए, हमे अपने विचारों से अवगत करवाने की कृपा करे कि आपके उपन्यास 'ज़िन्दा मुहावरे' का पात्र निज़ाम पाकिस्तान जाकर भी खुश नहीं रह पाता जबकि गियासुद्दीन (गोलू) हिन्दुस्तान में रह कर ही कॅलेक्टर लग जाता है। क्या निज़ाम का पाकिस्तान जाना उचित था या गोलू का भारत में रहने का फौलादी फैसला सही था ? इस पर अपना वक्तव्य रखें।

उत्तर :- मेरा नाम नासिरा शर्मा है। मेरा जन्म 1948 में इलाहाबाद में हुआ। मैंने फारसी भाषा और साहित्य में एम. ए. किया। फारसी भाषा के अलावा मेरी पकड़ हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजी में भी है। मैं भाषा के विकास के लिए राष्ट्रीय और अन्तर-राष्ट्रीय सेमिनारों में उल्लेखनीय योगदान दे चुकी हूँ। यहीं प्रयास ताउम्र जारी रहेगा। मुझे बुजुर्गों से विशेष लगाव है, जिनसे मुझे सेवा व आदर भाव सीखने को मिला है। मैंने बचपन से ही तरह-तरह की एलबम बनाई, घर-बार सजाया, ड्रामा किया, फिल्में देखी, नये लोगों से मिली, बागवानी खूब की इत्यादि मेरे शौक हैं। मुझे पत्रकारश्री, गजानन्द मुक्तिबोध, महादेवी वर्मा, इन्दू शर्मा, महात्मा गाँधी, राही मासूम रज़ा, कथाक्रम, साहित्य अकादमी व व्यास सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। आगे भी देश हितैषी कामों में लगी हुई हूँ। आपके शोधकार्य में चयनित उपन्यास 'ज़िन्दा मुहावरे' मेरा ही 1992 में भारत के बँटवारे के बाद के समाज पर लिखा एक प्रमुख उपन्यास है। इस उपन्यास का पात्र निज़ाम बँटवारे के बाद पाकिस्तान चला गया परन्तु वह अपने सहधर्मियों के साथ खुश नहीं रह पाता। निज़ाम का बड़ा भाई जो सियासतदानों की सियासत का शिकार हुए बिना भारत में रहने का फौलादी फैसला कर लेता है, वह अधिक खुश रहता है। उसका बेटा गियासुद्दीन (गोलू) पढ़-लिखकर कॅलेक्टर लग जाता है। निज़ाम जब वर्षों बाद अपने पुराने वतन लौटता है तो यह देखकर वह भौंचक रह जाता है कि उसके भाई का परिवार यहाँ ज्यादा सुखी है और गियासुद्दीन (गोलू) मुझसे कहीं अधिक कामयाब है। इस बात पर निज़ाम को पछतावा भी होता है कि उसका पूरा खानदान उससे छूट गया है। जिसकी यादें उसके जहन में टीस बन कर रह जाती हैं। मेरा पात्र गोलू मुसलमानों का एक प्रतिनिधि है जो बँटवारे से पहले भी और आज भी हिन्दुस्तान की मिट्टी से जुड़ा रहना चाहता है। जिस मिट्टी में उसके बुजुर्ग सपूर्दे-खाक हुए हैं। वह उस मिट्टी से कट नहीं पाता। इसकी एक वज़ह यह भी है, कौन है जो अपना वतन छोड़ कर जाएगा ? अपना गाँव छोड़कर जाना चाहेगा ? अपने हमसायों को छोड़कर जाएगा ? बँटवारा अपने आप में एक बहुत बड़ी गलती थी जो हमारे सामने आई। बॅटवारे के तजुर्बों के बाद कोई भी मुसलमान हिन्दुस्तान को छोड़ कर नहीं जाना चाहेगा। 72 सालों बाद भी बँटवारे की वेदना से किसी ने कुछ नहीं सीखा और सियासतदानों ने बुरी तरह से इस से फायदा लिया हैं। कुछ मुट्ठी भर लोग लगातार एक गलत किस्म की फ़िज़ा पैदा करते आ हैं। आपने उपन्यास 'ज़िन्दा मुहावरे' में पढ़ा होगा कि गोलू का पिता जिसके हलवाहे[20] व सहायक हिन्दू हैं। जो पीढ़ियों से उनके साथ एक परिवार के सदस्य की तरह रह रहे हैं। वह अपनी जायदाद का एक टुकड़ा उनको भी बांट देता है। गोलू के पिता के दिल में अपने भाई की जुदाई का ज़ख्म अभी भरा नहीं है। वह बताता है कि हम यहां के लोगों से जुड़े हुए हैं। हम एक दूसरे के खिलाफ कभी भी नहीं जा सकते। चाहे मुसलमान जितनी भी मुश्किलें उठाता है, जिल्लतें सहता हैं, यहां तक कि पाकिस्तान जाओं[21] के ताने सुनता है परन्तु वह अपना वतन नहीं छोड़ता क्योंकि उसके वतन के हिन्दू भाई उससे प्यार करते हैं। मेरे हिसाब से यह सब चीजें सियासी हैं। यह मेरा बॅटवारे पर लिखा उपन्यास है जो मेरे बचपन की यादों पर आधारित हैं। जहां मैंने सब को घुलमिल कर रहते देखा हैं। इस बॅटवारे से कोई सुखी नहीं रहा। पाकिस्तान जा कर भी जिन्ना साहिब को मुम्बई के अपने घर की याद सताती रही और अडवानी साहिब को अपने सिन्ध के घर की याद विभाजनोपरान्त भी आती रही, तभी तो अडवानी साहिब अपने सिन्ध वाले घर पहुँच कर अपने पूर्वजों के पलंग

Copyright © 2020 Authors

पर बैठ कर यादगार तस्वीर खिंचवाते है। सारी परेशानी इस बात की है कि विभाजन की त्रासदी से हमने कुछ नहीं सीखा, तभी तो दंगे-फसाद आज भी जारी हैं। यही कारण है कि निज़ाम विभाजनोपरान्त विस्थापन की पीड़ा भोग रहा है और गोलू अपने मादरे वतन की सेवा कर रहा है।[22] **सम्पर्क साधन (ईमेल के द्वारा)**

15. प्रश्न :- श्रीमान जी, सुना है कि 'शहर में कर्फ्यू' का अनुवाद बहुत सारी भाषाओं में हुआ हैं जो प्रमाणित करता है कि यह उपन्यास हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में प्रमुखता की श्रृंखला में आ गया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उपन्यास 'शहर में कर्फ्यू' में इलाके में फैले आतंक के कारण एक छोटी बच्ची को सपूर्द-खाक करने में कठिनाइयाँ आती है जबकि हाजी और जायसवाल जैसे पात्र कर्फ्यू में भी प्रशासनिक नियमों की परवाह तक नहीं करते, क्या विभाजन की त्रासदी की पीड़ा और प्रशासनिक नियम सामान्य वर्ग को ही झेलने पड़ते है या प्रभुत्वसम्पन्न वर्ग के लोगों को भी ? अपना संक्षिप्त परिचय देते। इस विषय पर अपने विचार दीजिए।

उत्तर :- मैं विभूति नारायण राय आजकल महात्मा गाँधी अन्तर-राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय वर्धा में कुलपति हूँ। आप के शोधकार्य में लिया उपन्यास 'शहर में कर्फ्यू' मेरा बेमिसाल लोकप्रियता प्राप्त कर चुका उपन्यास है। आपने सही सुना है कि 'शहर में कर्फ्यू' उपन्यास का दस भाषाओं में अनुवाद हो चुका हैं। उर्दू भाषा में ही इसके सौ से ज्यादा संस्करण प्रकाशित हुए हैं। अलग-अलग अख़बारों, अलग-अलग पत्रिकाओं के प्रकाशकों ने ज्यादातर ने मुझे सूचना दिए या बिना इज़ाज़त लिए उन्होंने 'शहर में कर्फ्यू' उपन्यास को छापा है। मुझे इसका बुरा भी नहीं लगा क्योंकि मेरे विचारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। वकार नासदी के उर्दू अनुवाद ने मुझे बहुत सन्तोष पहुँचाया है। चौधरी मोहम्मद नईस जो शिकागों में पढ़ाते है, उन्होंने इस का अंग्रेजी में भी अनुवाद किया है। इस के अलावा इसका अनुवाद पंजाबी, बंग्ला, मराठी, मलयालम, असमिया, कन्नड़, और उड़िया में भी हो चुका है। जो प्रमाणित करता है कि यह उपन्यास हिन्दी साहित्य में प्रमुखता की श्रृंखला में आ चुका है। पाकिस्तान की सरहद के साथ लगते इलाकों में एक छोटी सी घटना भी आतंक भरा माहौल उत्पन्न कर देती है। आतंकित माहौल के कारण शहर में कर्फ्यू लग जाता है। कर्फ्यू के दौरान एक बीमार बच्ची को उचित उपचार न मिलने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। उसको दफनाने से पहले नहाने के लिए, उसकी बूढ़ी दादी एक बाल्टी पानी भी मुश्किल से जुटा पाती है। लाश को सपूर्द-खाक करने के लिए बड़ी मशक्कत से कर्फ्यू पास केवल चार व्यक्तियों को ही मिल पाता है। जबकि हाजी और जायसवाल जैसे प्रभुत्वसम्पन्न लोग जो दंगे फसादों को भड़काने के मूल दोषी हैं, 188 की धारा[23] की परवाह किए बिना ही खुल्लेआम गाड़ियों में घूमते हैं। इन पर विभाजन की त्रासदी की पीड़ा और कर्फ्यू के समय सरकारी हुक्मों और प्रशासनिक नियमों का कोई असर नहीं पड़ता। सामान्य वर्ग के लोगों को बच्ची की लाश को सपूर्द-खाक करने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जबकि सम्पन्न लोग सत्ता का प्रयोग कर कभी भी कुछ भी कर सकते है।[24] **सम्पर्क साधन (ईमेल के द्वारा)**

16.प्रश्न :- बाबू जी, आप पद्मश्री सम्मानित है। आपने 1947 के विभाजन के खूनी मंजर को अपनी आँखों से देखा और दिल से महसूस किया है। आप आने वाली भावी पीढ़ी और सरकार को क्या सन्देश देना चाहेंगे ताकि जनमानस अपने विचारों में कोई बदलाव ला सके ?

उत्तर :- मेरा नाम विजय चोपड़ा है। मेरे पिता लाला जगत नारायण जी थे। मेरा जन्म लायलपुर जिला फैसलाबाद पाकिस्तान में 31 जनवरी, 1932 को हुआ। आजकल मैं रोज़ाना पंजाब केसरी पत्रिका का कर्ताधर्ता

 Copyright © 2020 Authors

हूँ। मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि मैं एक विस्थापित हूँ। मैं अन्य रिफ्यूजियों के साथ हिन्दुस्तान में विस्थापित हुआ हूँ। भारत सरकार ने मुझे समाज सेवी कार्यों में लिप्त रहने के कारण पद्मश्री से सम्मानित किया है। भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण मैंने आँखों से देखा और दिल से महसूस किया है। मैंने लायलपुर को छोड़ते और हिन्दुस्तान की ओर आते बड़े-बड़े काफिले देखे थे। काफिलों में पारिवारिक सदस्य अपने ज़ज़्बातों पर काबू पाते, संगे-सम्बन्धियों को बीमार और असहाय पीछे छोड़ कर स्वयं को बचाने के लिए, आगे की ओर बढ़ते देखा था। भूखे-प्यासे, लाचार, कई मीलों तक पैदल चल कर आए, शरणार्थी अमृतसर की पावन धरा को नतमस्तक होकर चूम रहे थे। शरणार्थी धन-सम्पत्ति, महल-चौबारों, खेत-खलियानों को पीछे छोड़ कर रिफ्यूजी कैम्पों में रहने को विवश थे। सब कुछ वहीं छोड़ आए, कुछ भी साथ नहीं लेकर आए, अगर कुछ साथ लेकर आए तो बीमार, थका-हारा शरीर और शरीर पर केवल दो वस्त्र। आज़ाद हिन्दुस्तान में क्या कुछ नहीं किया हमारे बुज़ुर्गों ने, 'ठेले चलाए, रेड़ियों पर फल बेचे।' अपने परिवार को पालने के लिए वे सब कुछ किया जो कर सकते थे। मैंने स्वयं यह त्रासदी देखी और महसूस की है। आज सभी शरणार्थी अपने बुज़ुर्गों की बदौलत पुरुषार्थी बन पाए हैं। मेरा आप को यही सन्देश है कि हमें अपने बुज़ुर्गों का मान-सम्मान करना चाहिए। पंजाब को 'प्रवेश द्वार' कहा जाता था। इस 'प्रवेश द्वार' ने हमेशा यातनाएँ भोगी हैं। पहले 1947 में, फिर आतंकवाद में, यही कारण है कि आज कोई भी पंजाबी नौजवान पंजाब में नहीं रहना चाहता। विदेशों में पलायन के लिए तैयार हैं। अगर हमारी सरकारों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो आने वाले दस सालों में यहां पर केवल बुज़ुर्ग ही रह जाएगे। सारी युवा पीढ़ी विदेशों में चली जाएगी। सरकार को युवा पीढ़ी की ओर ध्यान देने होगा ताकि हमें किसी अन्य त्रासदी का सामना न करना पड़े क्योंकि पंजाबिओं ने तो पहले ही बहुत प्रताड़नाए भोगी हैं।[25]

सम्पर्क साधन (दूरभाष के माध्यम)

निष्कर्ष :- इस साक्षात्कार के दौरान अनेक विस्थापितों से वार्तालाप किया गया। सभी के दिए गए वक्तव्य का विवेचन और विश्लेषण करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुँच पाया हूँ कि चाहे पाकिस्तान के निर्माण का मुख्य कारण धर्म था परन्तु विस्थापितों द्वारा धर्म को अधिक महत्त्व नहीं दिया गया। धर्म की आड़ में विदेशी और भारतीय राजनेताओं ने अपने स्वार्थी मनोहितों की पूर्ति हेतु किसी की भी परवाह नहीं की, स्वार्थी भावना की पूर्ति हेतु समाज में हिन्दुओं और मुसलमानों में सामाजिक एकता को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। हज़ारों वर्ष पुरानी गंगाजमुनी तहजीब की धज्जियों उड़ा दी गई। विभाजनोपूर्व तलवार के ज़ोर पर धर्मान्तरण की प्रक्रिया ने भी लोगों को प्रताड़ित किया। इस प्रताड़ना ने प्रमाणित कर दिया कि पाकिस्तान का निर्माण न हिन्दुओं का, न ही मुसलमानों का भला कर पाया। विभाजन ने एक वर्ग को मुहाजिर तो दूसरे वर्ग को काफिर बना दिया। 1971 को बंगला देश के निर्माण ने यह प्रमाणित कर दिया कि केवल मजहब के नाम पर सामाजिक एकता नहीं बनाई जा सकती। कुछेक विस्थापितों की बूढ़ी आँखें आज भी अपनों से बिछुड़ों को ख़ोज रही हैं। बॅटवारे के समय उपद्रवियों, हुल्लड़बाजों द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों ने आतंक के माहौल को उस पार अधिक बढ़ावा दिया जबकि भारत में दंगाकारियों को देखते ही गोली मारने के आदेश पारित कर दिए गए थे। उस पार की सरकार हुल्लड़बाजों को रोकने की बजाए, उनकी पीठ थपथपा रही थी। जिसके कारण मार-काट, लूट-पाट और बलात्कार जैसी घटनाओं में अधिक वृद्धि होने लगी। शायद गृहयुद्ध के समय भी ऐसा न होता जैसा विभाजनोपरान्त हुआ। भारत से अपमानित होकर गए सैनिकों ने पाकिस्तान में मार-काट को होने दिया। ऐसा लग रहा था कि सैनिक अपने अपमान का बदला पाकिस्तान छोड़ रहे मासूम लोगों से ले रहे हो। साक्षात्कार के दौरान विस्थापितों ने स्वीकार किया है कि कोई भी सरकारी फैसला उनके मन पर लगे घावों का उपचार नहीं

 Copyright ⓒ 2020 Authors

कर पाया। आज भी मुहाजिर और शरणार्थी अन्दर-ही-अन्दर घुटन अनुभव कर रहे हैं। विस्थापित अपने मन की पीड़ा राजनेताओं को गालियाँ देकर निकाल रहे हैं क्योंकि उस पार गए मुसलमान मुहाजिर और गैरमुसलमान काफिर बनकर रह गए हैं। उनके साथ आज भी द्वितीय श्रेणी के नागरिकों जैसा व्यवहार होता हैं। भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण समय मातृशक्ति के शोषण जैसी ग्लानि भरी घटनाएँ विश्व इतिहास में कहीं भी नहीं मिलती हैं। विभाजन इतिहास की एक ऐसी गलती है जो प्रतिदिन दर्द उत्पन्न करती रहेगी। मिट्टी एक, पानी एक, हवा एक और इतिहास एक, पर सरहद ने सब कुछ बाँट दिया। यह सब राजनेताओं की अस्पष्ट राजनैतिक नीति, दुष्चरित्र, स्वार्थलिप्सा, कूटनीति के कारण हुआ। राजनैतिक हालातों ने किसी को विस्थापित, मुहाजिर या काफिर बना कर रख दिया। विभाजन तो देश का हुआ था, समाज का नहीं फिर समाज में रहने वालों को क्यों प्रताड़ित किया गया ? विभाजन का प्रत्यक्ष प्रभाव समाज पर देखने को मिला। जिस ने दिलों में एक रेखा खींच कर समाज के लोगों को पीड़ा का अहसास करवाया। यह सब उचित समय पर उचित निर्णय न लेने के कारण हुआ। एक ही माँ के दो बेटों को मुहाजिर और काफिर बना कर रख दिया। ऐसे गलत फैसले किसी का भला नहीं कर पाएगे। विभाजन विभाजितों की सभ्यता-संस्कृति का विनाश कर देता है। यह एक बहुत बड़ी विडम्बना है जब शान्ति संस्थापना के लिए धार्मिक आस्था का राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रयोग किया जाए। मानवाधिकारों के ऐसे हनन के उदाहरण विश्व में कहीं भी नहीं मिल रहे हैं। तभी तो लोगों में देशभक्ति की बजाए स्वार्थीपन में बढ़ोत्तरी अधिक हुई हैं। विदेशी हुकूमत के अधिकारी रैडक्लिफ ने भी 40000 हज़ार रुपयों की पगार हेतु अप्राकृतिक ढंग से भारत की सीमा रेखा निर्धारित कर, कभी न उपचार होने वाला घाव भारत माता के सीने में शमशीर घांप कर उत्पन्न कर दिया। अकसरियत की अकलियत के लिए कुर्बानी दी जाने लगी। कई विस्थापितों ने यह प्रमाणित भी किया है कि शरणार्थियों ने अपने परिश्रम के बल पर अपना पुरुषार्थ सिद्ध कर सब कुछ प्राप्त कर लिया जो विस्थापितों ने पाकिस्तान के निर्माण समय खो दिया था। फिर भी विस्थापित विभाजन की पीड़ा को भूल नहीं पा रहे हैं। विभाजन चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, उसके पीछे चाहे कोई भी परिघटना क्यों न हो, किसी को खुश नहीं कर पाया। हमें इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं रहना चाहिए कि राजनेताओं की चालबाजी, मुखौटेबाजी और स्वार्थलिप्सा ने सरहदों पर एक ऐसी लकीर खींच दी है, जिस का ख़ामियाज़ा सदियों तक आम जनता को भोगना पड़ेगा। विभाजन और युद्ध मानव का सब से बड़ा शत्रु है। मानव संस्कृति की पूर्ण विजय तब होगी जब संसार में सत्य और न्याय के लिए मानव को विभाजन और किसी प्रकार के युद्धों की आवश्यकता वसुधैव कुटुम्बकम की भावना को मानते हुए नहीं होगी। इस साक्षात्कार रूपी शोधपत्र के माध्यम से दुनिया के समक्ष यह सत्य लेकर आना ही मेरा उद्देश्य है।

सन्दर्भ :-

1. श्री इन्द्र राज सपुत्र श्री धर्म चन्द (विस्थापित) जन्म तिथि 21.08.1920,मकान न० 3158, गली न० 9 जवाहर नगर, लुधियाना-141003
2. M.S. Randhawa, 'Out of Ashes' Ujjal Singh, C.N. Raman at New jack Printing Works ,Ltd., Bomaby-13 Edition-1954 page no.32 (By the end of December, 1947 refugees were given shelter in 160 camps all over India.)
3. Recovery and Restoration of Abducted People' Ministry of External Affairs Govt. of India Delhi, Edition-1948 page no.6 ('By the end of December, 1947, over 1,45,000 refugees were given shelter in 160 camps all over India.)

 Copyright ⓒ 2020 Authors

4. डॉ० महोनन एन. 'समकालीन हिन्दी उपन्यास' वाणी प्रकाशन, दरियगंज, नयी दिल्ली, प्रथम संस्करण-2013 पृष्ठ संख्या-72
5. प्रिंसीपल गुरचरण सिंह बरारा सपुत्र श्री बलवन्त सिंह बरारा (विस्थापित) कोठी न० 116 एच, सराबा नगर, लुधियाना
6. एक पंजाबी की कहावत जिस में औरतों के शरीर पर हिन्दू या मुसलमान होने की निशानी देखी जाती थी।
7. श्रीमती पुष्पा रानी पत्नी श्री कस्तुरी लाल (विस्थापित) जन्मतिथि-1936 मकान न० 738, तहसील कैंप, पानीपत
8. स. जसदेव सिंह ललतों सपुत्र स. सेवा सिंह, ललतों गाँव ललतों खुर्द, लुधियाना
9. श्री ओम प्रकाश सपुत्र श्री सन्त राम (विस्थापित) जन्मतिथि-1934, मकान न० 3129, जवाहर नगर, लुधियाना-141003
10. श्री बनारसी लाल चावला (विस्थापित) जन्मतिथि 1933, फलैट न० 802 गोकुगल अपार्टमैंट, सैक्टर न० 45, फरीदाबाद
11. प्रख्यात साहित्यकार डॉ० तरसेम गुजराल (विस्थापित) 21.08.1950, मकान न० 444-ए, राजा गार्डन, पीओ बस्ती बावा खेल, जालन्धर-144021
12. स. रणजीत सिंह (नेशनलअवार्डी) जन्मतिथि 1.10.1947, सपुत्र श्री इक्बाल सिंह, मकान न० 105, माया नगर, सिविल लाईन, लुधियाना\
13. 'घर वापसी' उपन्यास, मधुर कुलश्रेष्ठ, बोधि प्रकाशन, जयपुर प्रथम संस्करण-2015 पृष्ठ संख्या-92
14. मधुर कुलश्रेष्ठ (उपन्यासकार) पुत्र श्री सरवेश कुलश्रेष्ठ नीड़ गली न० 1, आदर्श कालोनी, गुना मध्य प्रदेश
15. मधुर कुलश्रेष्ठ (उपन्यासकार) सपुत्र श्री सरवेश कुलश्रेष्ठ नीड़ गली न० 1, आदर्श कालोनी, गुना मध्य प्रदेश
16. स. अवतार सिंह सियाल (विस्थापित) सपुत्र श्री बलदेव सिंह सियाल, कोठी न० 235-एल, मॉडल टॉऊन, लुधियाना
17. 'सूखा बरगद' उपन्यास मंजूर एहतेशाम, राजकमल प्रकाशण प्रा.लि. नई दिल्ली, संस्करण-2018, पृष्ठ संख्या-223
18. प्रख्यात मंजूर एहतेशाम, (उपन्यासकार) शिल्पकार हाउस, ग्रांड होटल के सामने भारत टॉकीज चौराहा, भोपाल-462001
19. श्री खुशदेव बख्शी (विस्थापित) सपुत्र श्री रामचन्द, मकान न०एच.जे.-201 हाउसिंग बांर्ड कालोनी, बी. आर. एस. नगर, लुधियाना
20. हलवाहे (किसी के खेतों में हल चलाने वाले) tenants
21. 'ज़िन्दा मुहावरे' उपन्यास, नसिरा शर्मा वाणी प्रकाशण, दरियागंज, नयी दिल्ली, प्रथम संस्करण-1994, पृष्ठ संख्या-74
22. प्रख्यात साहित्यकार नासिरा शर्मा, (उपन्यासकार) डी-37/754, छतरपुर पहाड़ी, नई दिल्ली
23. 'शहर में कर्फ्यू' उपन्यास, विभूति नारायण राय, वाणी प्रकाशन दरियागंज, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण-1988 पृष्ठ संख्या-12
24. प्रख्यात उपन्यासकार विभूति नारायण राय, टी/101 आम्रपाली सिलिकान सिटी सैक्टर-76, नोयड़ा-201301
25. मुख्य संपादक पंजाब केसरी, विजय चौपड़ा (विस्थापित) सपुत्र श्री लाला जगत नारायण, जालन्धर

 Copyright ⓒ 2020 Authors